भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4343
19.07.2019 को उत्तर के लिए

तालाबों और झीलों का संरक्षण

4343. श्री अरूण साव :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तालाबों और झीलों के संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में कानून लाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तालाबों और झीलों के संरक्षण और उनके चारों ओर चारदीवारी का निर्माण करने हेतु सख्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत भागीदारी आधार पर देश में अभिज्ञात नमभूमियों और झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए इस समय राष्ट्रीय जलीय पारि-तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) नामक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में विभिन्न कार्यकलापों को शामिल किया गया है जैसे-अपशिष्ट जल का अवरोधन, अपवर्तन और शोधन, तटरेखा सुरक्षा, झील तट विकास, स्व-स्थाने सफाई अर्थात् डिसिल्टिंग और डिवीडिंग, झंझाजल प्रबंधन, जैव उपचार, आवाह क्षेत्र उपचार, झील सौंदर्यकरण, सर्वेक्षण एवं सीमांकन, जैव-बाड़ लगाना, मत्स्य विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैवविविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक प्रतिभागिता आदि।

इसके अतिरिक्त, पारंपरिक तथा अन्य जल निकायों/टैंकों का जीर्णोद्धार करना जल शक्ति अभियान के प्रयास के क्षेत्रों में से एक है। जल शक्ति अभियान के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, संवर्धित सतही तथा भू-जल उपलब्धता, पेयजल स्रोतों की सतता, मिट्टी में नमी की बढ़ोतरी इत्यादि शामिल हैं। दस वर्षों से अधिक समय से विद्यमान तथा पेयजल एवं अन्य प्रयोजनों के लिए समुदाय की सेवा में रत रहे जल निकायों के लिए सूचीकरण, पुन:स्थापन और जीर्णोद्धार के प्रयास किए गए हैं।

(ख) और (ग) देश में नमभूमियों के और अधिक प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय अनुरूप मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके नमभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 के अधिक्रमण में नमभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं। नमभूमि नियम, 2017 के अनुसार उपबंध 4 (2) के अंतर्गत कुछ कार्याकलाप निषिद्ध किए गए हैं जोकि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित नमभूमियों और रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की नमभूमियों' के रूप में श्रेणीबद्ध नमभूमियों, पर लागू हैं। नम भूमि नियमों के अंतर्गत राज्य नमभूमि प्राधिकरणों को संबंधित नमभूमियों के अभिनिर्धारण तथा अधिसूचित करने के लिए अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) नमभूमियों तथा झीलों का एकीकृत तरीके से संरक्षण करने के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे नमभूमियों की सीमाओं के निरूपण, एकीकृत प्रबंधन योजनाओं का विकास, प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों को सुरक्षित करने, निगरानी तथा मूल्यांकन, अनुसंधान-प्रबंधन के सहसंबंध के सुदृढ़ीकरण सहित उनके अभिनिर्धारण तथा अधिसूचित किए जाने को उच्च प्राथमिकता दें।

*****